CREA

2/14, दूसरी मंजिल
शांति निकेतन
नई दिल्ली – 110 021

'जेंडर व पितृसत्ता' पर प्रशिक्षण कार्यशाला

समुदाय आधारित नेतृत्व कार्यक्रम

CREA

आभार

यह रिपोर्ट सुनीता भदौरिया द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करने के लिए प्रमदा मेनन व वीनू ककक्ड का धन्यवाद करते हैं।

प्रशिक्षण तथा इस रिपोर्ट के पुनरवलोकन के लिए हम कमला भसीन के आभारी हैं।

प्रकाशक व वितरणकर्ता – क्रिया
2/14, दूसरी मंजिल, शांति निकेतन
नई दिल्ली – 110 021

Tel: 11-2688 3209 / 2410 7983. Email:crea@vsnl.net. Website: www.creaworld.org

'जेंडर व पितृसत्ता' पर प्रशिक्षण कार्यशाला

समुदाय आधारित नेतृत्व कार्यक्रम

क्रिया प्रकाशन

परिचय

क्रिया का उद्देश्य महिलाओं को उनके हक के बारे में जानकारी देकर उनको प्रोत्साहित करना तथा महिला नेताओं की एक नई पीढ़ी की क्षमता को बढ़ाना है। क्रिया मुख्यतः यौनिकता, प्रजनन स्वास्थ्य, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, लिंग समानता, सामाजिक न्याय तथा महिला अधिकारों के मुद्दों पर कार्य करती है।

क्रिया का मानना है कि हर स्त्री को – जीवन में उसकी स्थिति चाहे कोई भी हो – प्रतिष्ठा का जन्मजात अधिकार है। इस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उसके मानव अधिकारों को दृढ़ करना जरूरी है। अपने अधिकारों की मांग करने तथा उन्हें पाने के लिए क्रिया महिलाओं का सशक्तिकरण करने का प्रयास कर रही है। यह कार्य महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को बढ़ा कर तथा स्थानीय, प्रांतीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क स्थापित कर प्रशिक्षण, एडवोकेसी तथा शोध के द्वारा किया जाता है।

क्रिया के लिए नेतृत्व एक प्रक्रिया है – जिसमें महिलाएं प्रासंगिक अनुभवों के मूल्याकंन के द्वारा समाज में अपनी भूमिका पर प्रश्न कर शक्ति के ढाँचे को चुनौती देती हैं। इसके साथ ही प्रभावशाली रूप से सकारात्मक सामाजिक बदलावों की उत्प्रेरक बनकर अपने अधिकारों को सुदृढ़ करती हैं।

नई आवाजें, नए नेतृत्व – इस पहल के अंतर्गत क्रिया नेतृत्व विकास के कार्यक्रमों पर कार्य करती है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण तथा अधिकारों को संबोधित करते हैं। समुदाय आधारित नेतृत्व कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा है।

क्रिया, समुदाय आधारित नेतृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत आठ संस्थाओं के साथ महिलाओं के एक समूह की नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाने, समुदाय तथा जिला स्तर पर नीतियों को प्रभावित करने के लिए वैचारिक, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक क्षमता प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

इस समूह में झारखंड, उत्तर प्रदेश व उत्तरपूर्व की आठ संस्थाएं शामिल हैं। समूह के संगठन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है। इस दौरान एक ओर महिलाओं के प्रति हिंसा तथा यौनिकता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया है वहीं दूसरी ओर समूह के प्रतिभागियों को अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त हुआ है।

इस कार्यशाला का उद्देश्य समुदाय आधारित नेतृत्व कार्यक्रम की सहभागी संस्थाओं के इस समूह के जेंडर परिप्रेक्ष्य को विकसित करना और समझ बढ़ाना था। यह प्रशिक्षण सहभागी संस्थाओं के अनुरोध पर आयोजित किया गया था। इस समूह की सभी सहभागी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कार्य कर रहीं हैं। इस प्रशिक्षण कार्यशाला से जेंडर पर उनकी समझ और स्पष्ट व मजबूत हो सकेगी।

कार्य पद्धति

विभिन्न अभ्यासों, फिल्म प्रदर्शनों, सामूहिक विचार–विमर्शों के द्वारा कार्यशाला के सत्रों को सहभागितापूर्ण, आत्म–विचारक, व परस्पर बातचीत करने वाला बनाया गया।

कार्यशाला की प्रशिक्षक कमला भसीन थीं। वे लगभग 27 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ की 'फूड एण्ड एग्रीकलचर एसोशिएशन' नामक संस्था में कार्यरत थीं। उनका मुख्य कार्य दक्षिण एशियाई महिला संस्थाओं की ट्रेनिंग, क्षमता विकास और देशों के बीच एक्सचेंज कार्यक्रमों के द्वारा नेटवर्क बनाना रहा है।

कार्यशाला की शुरूआत परिचय से हुई जिससे प्रतिभागियों व प्रशिक्षक को एक दूसरे के बारे में जानने और आपस में संबंध स्थापित करने में सहायता मिली। इससे आरंभिक हिचकिचाहट व चुप्पी को तोड़ने में भी मदद मिली। परिचय कराने का उद्देश्य औपचारिक रूप से कार्यशाला को आरंभ करना, प्रतिभागियों का एक दूसरे से परिचय कराना, और प्रतिभागियों को अपने बारे में अधिक गहराई से जानने में मदद करना था।

'सोशियो ग्रामिंग' अभ्यास

इस अभ्यास के अंतर्गत सभी प्रतिभागियों को नीचे दी गई श्रेणियों के अनुसार समूह बनाने के लिए कहा गयाः

- पहचान
- राज्य
- भाषा
- वैवाहिक स्थिति
- धर्म – जिसमें आप पैदा हुई हैं
- धर्म – जिसमें आप विश्वास करती हैं
- नारीवादी

इस अभ्यास से प्रशिक्षिका को समूह में मौजूद प्रतिभागियों की विविधताओं, समझ का स्तर, भाषा, सीखने की इच्छा व क्षमता, कौन कम बोलता, उनकी सोच इत्यादि के बारे में पता चला। इसमें सभी को बोलने का मौका मिला और प्रतिभागियों को भी अपने साथियों की व्यक्तिगत जानकारी मिली जिससे वे उन्हें बेहतर जान पाए। इस अभ्यास से समूह के बारे में निम्न मुख्य बातें सामने आईं :

- नारीवादी समूह
- धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले
- अधिकतर हिन्दी भाषी
- मुख्यतः समाजकर्मी

इस प्रक्रिया से ऐसा माहौल पैदा हुआ जिसमें सभी बिना किसी संकोच के अपने विचार व अनुभवों को बांट सकते थे, फिर चाहे वे कार्य संबंधित हों या व्यक्तिगत।

इसके बाद एक और अभ्यास किया गया। इसमें प्रतिभागियों को अपनी तीन अहम पहचानें बतानी थीं। इस अभ्यास से कई तथ्य सामने आए। बताई गई पहचानों में निम्नलिखित मुख्य थीं :

- महिला
- नारीवादी
- समाजकर्मी
- माँ, बेटी या पत्नी
- सहेली
- इंसान
- मुस्लिम
- दलित
- स्वतंत्र
- संस्था की मुखिया
- समलैंगिक
- कांउस्लिर

12 प्रतिभागियों ने कहा कि पहले वे महिला हैं उसके बाद इंसान। इससे प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों है? कई जवाब आए कि 'जानवरों में भी लिंग भेद पाया जाता है'; 'परिवार में कोई भी मुद्दा उठाओ, यही सुनने को मिलता है कि महिला हो कर महिलाओं को भड़काती हो'। प्रशिक्षका ने बताया कि जब वे पुरूषों के साथ यह अभ्यास कराती हैं तो आमतौर पर उनकी पहचानें होती हैं : इंसान, डॉक्टर, इंजीनियर, या वकील इत्यादि। पुरूष कभी ये नहीं कहते कि वे पिता, पति या पुत्र हैं। इन जवाबों से पता चलता है कि महिलाओं के लिए परिवार व संबंधों का महत्व अधिक है, जबकि पुरूषों के लिए उनका व्यावसायिक जीवन अधिक मायने रखता है।

समूह की दो प्रतिभागियों ने धर्म व जाति को अपनी प्राथमिक पहचान बताया। इसका कारण यह था कि उनकी इन पहचानों के कारण उन्हें दुख झेलना पड़ा है। एक तरह से ये पहचानें दुखों व कष्टों की परिभाषाएं हैं। समाज महिला को भूलने नहीं देता कि वह एक महिला है। मुख्यधारा से हटकर यदि वह किसी और धर्म की है तो वह और भी कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि उसके साथ अलग तरह का व्यवहार होगा, जिससे हमेशा यह अहसास होता रहे कि उसका धर्म अलग है। दलित, समलैंगिक ये भी ऐसी पहचाने हैं जहाँ मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। अपने आप को दलित या समलैंगिक कहलाने से आप अपने को मुख्यधारा से हट कर एक अलग श्रेणी में पाते हैं जो आपके लिए कष्टों का कारण बन जाती है।

जेंडर क्या है?

वर्तमान समय में जेंडर शब्द को सामाजिक संदर्भ में एक व्यापक अर्थ में देखा जाता है। किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए जरूरी है कि उस पर सब की समझ हो। जेंडर शब्द का अर्थ है कि समाज महिला व पुरूष को किस प्रकार से देखता है। महिला व पुरूष के क्या काम हैं, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए और उनके क्या अधिकार हैं इत्यादि।

ऐसा कौन सा काम है जो केवल महिलाएं कर सकती हैं?
- बच्चे को जन्म देना
- बच्चे को दूध पिलाना

ऐसा कौन सा काम है जो केवल पुरूष कर सकते हैं?
- गर्भ देना

ये प्राकृतिक या जैविक कार्य हैं। इसलिए कोई भी कार्य जिसके लिए बच्चेदानी, वक्षस्थल या लिंग की जरूरत नहीं है उसे स्त्री व पुरूष दोनों कर सकते हैं।

"एक लड़की और लड़के या एक महिला और पुरूष की सामाजिक–सांस्कृतिक परिभाषा को जेंडर कहते हैं।"

किसी नवजात शिशु के जननांग देखे बिना क्या बताया जा सकता है कि वह नर है या मादा? नहीं, क्योंकि लगभग बारह वर्ष की आयु तक लिंग के अलावा सभी चीजें एक समान ही होती हैं। इसे एक अभ्यास के द्वारा स्पष्ट किया गया।

मध्यमवर्गीय परिवार में एक 7 वर्षीय बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है और उसी की उम्र के अन्य बच्चों को बुलाया गया है। क्या इनमें लड़कियों और लड़कों को पहचाना जा सकता है? हाँ, निम्नलिखित के द्वारा :

- कपड़े
- जूते
- श्रृगांर
- बाल
- आचार व्यवहार
- खिलौने
- भाषा
- मनोवृति

इन सभी को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि लड़कियों के कपड़े, जूते, व आचार व्यवहार ऐसे होंगे जो उनकी गतिशीलता को कम करेगें और लड़कों के ऐसे होंगे जिसमें उन्हें कोई परेशानी न हो। खिलौने भी ऐसे होंगे कि लड़कियां गुड़ियों व घर के सामान से खेलेगीं तो लड़कों के पास होगा जहाज, टेंक या डॉक्टरी खेल का किट। खेल में ही बच्चे अपने भविष्य की भूमिकाओं को सीखते व समझते हैं। लड़के गालियां देगें और लड़कियां दबी आवाज में बोलेंगी या हँसेंगी और लड़के हक से चीज मांगेंगे जबकि लड़कियां चीज लेने से पहले इजाजत मांगेंगी। इस प्रकार देखा गया कि लड़कियों के जीवन का लक्ष्य है सुदंर व सुशील बनना और कार्यक्षमता से उनका कोई लेना देना नहीं है। सौंदर्य के नाम पर उन पर अनेकों बंधन लगा दिए जाते हैं। परंतु लड़कों के लिए गतिशीलता, कार्यक्षमता व शारीरिक मजबूती जरूरी है। क्योंकि बड़े होकर परिवार की जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी है।

जेंडर व सेक्स में अंतर

वर्तमान समय में जेंडर एक सामाजिक अर्थ वाला शब्द है परंतु अक्सर जेंडर व सेक्स की अवधारणाओं में दुविधा पैदा हो जाती है। निम्नलिखित अंतरों के द्वारा हम उसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं।

जेंडर	सेक्स
जेंडर सामाजिक परिभाषा व पहचान है।	सेक्स जैविक या शारीरिक है।
जेंडर सामाजिक, सांस्कृतिक है और इसे मनुष्य ने बनाया है।	सेक्स प्राकृतिक है, इसे मनुष्य ने नहीं बनाया है।
जेंडर समाज द्वारा बनाया गया है इसलिए यह परिवर्तनशील है। विभिन्न संस्कृतियों या एक परिवार से दूसरे में भी इसका रूप बदल सकता है।	विश्व में हर जगह महिला व पुरूष के शारीरिक अंग एक जैसे ही होते हैं।
जेंडर को बदला जा सकता है।	सेक्स को बदला नहीं जा सकता।

ऊपर बताए गए अंतरो से अवधारणाएं तो स्पष्ट हुई परंतु हिंदी भाषा में "जेंडर" की इस अवधारणा के लिए कोई अलग शब्द नहीं है। 'लिंग' शब्द का प्रयोग जेंडर व सेक्स दोनों के लिए किया जाता है। इन दोनों के अंतर को बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में कार्य करने वालों ने दो नए शब्दों का विकास किया है। सेक्स को 'प्राकृतिक लिंग' और जेंडर को 'सामाजिक लिंग' का नाम दिया गया है। छोटे रूप में सामाजिक लिंग को 'सालिंग' और प्राकृतिक लिंग को 'प्रालिंग' कहा जा सकता है। इन नए शब्दों से जेंडर व सेक्स का अंतर एकदम स्पष्ट हो जाता है।

जेंडर एक अलिंगी (जिसका कोई निर्धारित लिंग न हो) शब्द है। यह केवल एक परिभाषा है और यह समान या असमान हो सकती है।

जेंडर शब्द किस लिए?

इस नए शब्द का उदय क्यों हुआ? प्रतिभागियों ने कई कारण बताए – उत्पीड़न अधिक हो गया है; स्पष्ट समझ के लिए; क्योंकि महिलाओं को कमजोर समझा जाता है; या भेदभाव को रोकने के लिए इत्यादि। परंतु क्या वाकई महिलाएं अपनी शारीरिक बनावट के कारण कमजोर हैं? और यदि ऐसा है, तो इसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि शारीरिक रचना प्राकृतिक है और इसलिए स्थाई है। प्रकृति ने महिला व पुरूष में भेद किया है पर भेदभाव नहीं किया है।

जेंडर के बारे में बात करने की क्या आवश्यकता है? जहाँ भेदभाव होता है, अधिकारों का हनन होता है वहाँ अधिकार स्थापित करना पड़ता है, और उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है। जेंडर शब्द को लाया गया ताकि आप समाज को पहचान सकें और इसके लिए सामाजिक ढ़ाँचे को समझना जरूरी है।

महिलाओं की खराब स्थिति का कारण समाज है प्रकृति नहीं इसलिए जेंडर एक तुलनात्मक अध्ययन है और यह सत्ता से जुड़ा हुआ है।

महिलाओं को जो कष्ट हैं वे प्राकृतिक नहीं बल्कि समाजिक हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं इसलिए इन्हें बदला जा सकता है। सामाजिक लिंग व प्राकृतिक लिंग को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जेंडर की अवधारणा का जन्म हुआ।

सामूहिक अभ्यास

इस अंतर को और स्पष्ट करने के लिए एक सामूहिक अभ्यास किया गया। सभी समूहों को निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार विमर्श कर जवाब देना था। प्रतिभागियों को चार छोटे समूहों में बाँटा गया, पर आश्चर्यजनक बात यह थी कि सभी के अनुभव मिलते जुलते थे। इससे कुछ मुख्य बिन्दु सामने आए जो इस प्रकार थेः

परिवार में जेंडर का क्या रूप था?

- पिता कमाते थे, घर के मुखिया व अंतिम निर्णयकर्ता भी वही थे
- अधिक बेटियां पैदा करने के लिए माँ को प्रताड़ित किया जाता था
- छोटा भाई आदेश देता था
- खाने पीने में भेदभाव था
- शिक्षा में भेदभाव था

कब महसूस हुआ कि आप एक लड़की हैं?

- माहवारी शुरू होने पर
- आने जाने पर रोक टोक होने पर
- कपड़ो पर पाबंदी, दुपट्टा या ओढ़नी पहनने पर
- लड़कों द्वारा छेड़छाड़
- लड़कों के प्रति आकर्षण
- कक्षा में अलग बैठना
- बाहर अकेले आने जाने पर पाबंदी

लड़की होने के नाते सबसे कटु अनुभव क्या था?

- उच्च शिक्षा प्राप्त न कर पाना
- निर्णय लेने या अपनी बात कह पाने की स्वतंत्रता नहीं थी
- रात को देर से घर आने पर पाबंदी, परंतु अपनी सुविधा के अनुसार माता–पिता द्वारा उसमें छूट थी
- अपने शरीर पर अधिकार नहीं था
- पुरूषों द्वारा छेड़छाड़

लड़की होने के नाते सबसे आंनदमय अनुभव क्या था?

- शादी होने पर (क्योंकि एक तरह की स्वतंत्रता मिली)
- माँ बनने पर
- सजने संवरने का मौका मिला
- लड़की होने के बावजूद घर की जिम्मेदारी उठाने पर

जेंडर की बात करते ही अक्सर महिलाओं की ओर ध्यान जाता है परंतु हमें पुरूषों की स्थिति को भी देखना चाहिए। क्योंकि देखने में चाहे सब कुछ उनके पक्ष में ही दिखाई देता है, पर वास्तव में कई स्तरों पर वे भी प्रताड़ित होते हैं। बचपन में पुरूषों से कहा जाता है कि वे रो नहीं सकते क्योंकि रोना कमजोरी की निशानी है, इस तरह उन्हें भावनाओं को व्यक्त करने से रोक दिया जाता है। वे भावनाओं को अपने तक ही रखते हैं पर कभी अभिव्यक्त नहीं कर पाते। लड़कों को अच्छी शिक्षा जरूर मिलती है पर उसके साथ ही कमा कर घर चलाने का बोझ भी मिलता है। अगर वो नर्तक बनना चाहें तो नहीं बन सकते क्योंकि उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना होगा, तो ऐसी स्थिति में उनकी भी इच्छाओं व अधिकारों का हनन होता है।

पुरूष महिलाओं के संरक्षक होते हैं चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। छोटा भाई भी अपने आप को बड़ी बहन का संरक्षक समझता है। सुरक्षा व नियंत्रण के बीच बहुत बारीक अंतर होता है और रक्षा करते करते रक्षक नियंत्रक बन बैठते हैं। पुरूषों को 5 से 50 वर्ष की आयु तक महिलाओं का बोझ उठाना पड़ता है उनकी रक्षा, विवाह और देखभाल की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। महिलाएं जब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरूषों को सौंप देती हैं तो इसका अर्थ है कि उन्होंने मान लिया है कि वे पुरूषों से कमतर हैं, निर्बल है और लाचार हैं। इसलिए पुरूषों को बचपन से ही यह अहसास दिलाया जाता है कि वे घर के मुखिया हैं और उनकी बात सुनी जाएगी।

ऊपरी अभ्यास के दौरान जो बातें उभर कर आईं उनसे यह बात स्पष्ट होती है कि यह भेदभाव एक

सामाजिक व्यवस्था के कारण है। हम यहाँ एक सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहें हैं। ऐसा माना जाता है कि समाज में सबसे सुरक्षित स्थान परिवार होता है। पर ऊपर लिखे बिन्दुओं से साफ पता चलता है कि सबसे पहले सारी बंदिशें परिवार ही लगाता है और सबसे ज्यादा दुख परिवार वालों से ही मिलता है। ये महिला–पुरूष के भेद, उनकी भूमिकाएं, अधिकार आदि प्रकृति की देन नहीं हैं बल्कि समाज की इस व्यवस्था का परिणाम हैं और यह व्यवस्था है "पितृसत्ता"।

महिला आंदोलन ने अभी तक केवल महिलाओं के बारे में ही सोचा है। अब यह समझने का समय है कि पुरूषत्व भी जेंड़र की देन है प्रकृति की नहीं। पुरूषों के पास अधिक अधिकार हैं परंतु ये अधिकार महिलाओं ने ही उन्हें दिए हैं। पुरूषों को बचपन से सिखाया जाता है कि वे आदेश दे सकते हैं और उनके आदेशों का पालन भी किया जाएगा।

पितृसत्ता ने दुनिया को दो भागों में विभाजित कर दिया है – निजी और सार्वजनिक। इस विभाजन के चलते महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में से पूर्णतया काट दिया गया है। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए आगे हम देखेंगें कि किस प्रकार सभी क्षेंत्रों में जेंडर के आधार पर महिला व पुरुष में भेदभाव किया जाता है।

स्थानों में जेंडर

महिला	पुरूष
रसोईघर पनघट	पान, शराब, या गोश्त की दुकान चौपाल खेल का मैदान देर रात फिल्म देखने जाना मस्जिद में जाना

इन स्थानों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि महिलाएं घर में रहेगीं और पुरुष बाहर जाएगें।

नौकरी व कार्य में जेंडर

महिला	पुरूष
नर्स टीचर आया सेकरेटरी रिसेप्शनिस्ट विमान परिचारिका	डॉक्टर इंजीनियर जज / वकील पुलिस ड्राईवर विमानचालक

संपूर्ण विश्व में केवल 14 प्रतिशत कार्यकारी या प्रबंधक पदों पर महिलाएं हैं। इस सूची से हम देख सकते हैं कि सेवा से संबंधित कार्य महिलाओं के हैं और निर्णायक व महत्वपूर्ण कार्य पुरुषों के हैं।

वस्तुओं में जेंडर

महिला	पुरूष
छोटी घड़ी छोटा रूमाल छोटा बैग	बड़ी घड़ी बड़ा रूमाल कामकाजी ब्रीफकेस

मर्दाना वस्तुएं बड़ी और जनाना वस्तुएं छोटी होती हैं।

भाषा में जेंडर

महिला	पुरूष
कटोरी कुरती घड़ी टोकरी	कटोरा कुरता घड़ियाल टोकरा

हर बड़ी चीज का संबोधन मर्दाना है और छोटी चीज का जनाना। वस्तुओं के साथ साथ यह अंतर भाषा में भी स्पष्ट है।

संसाधनों में जेंडर

संसाधनों का भी जेंडरीकरण होता है। उच्चशिक्षा, गाड़ियां व अच्छे भोजन पर पुरुषों का अधिकार होता है। घर में यदि स्कूटर हो तो लड़का उसे चलाएगा लड़की नहीं।

इस प्रकार ऊपर के उदाहरणों से पता चलता है कि समाज हमेशा याद दिलाता रहता है कि पुरुष उत्तम है और महिलाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।

सामाजिक लैंगिक संबंध (Gender Relations)

"सालिंग आधारित संबंध महिला–पुरूष, पुरूष–पुरूष और महिला–महिला के बीच के संबंध हैं"।

संबंध भी जेंडर की मार से अछूते नहीं हैं, जेंडर संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं –

- पति – पत्नी का संबंध
- समधियों का संबंध
- पति का भाई – पत्नी का भाई
- बेटे की माँ – बेटी की माँ

इन संबंधों से हम देख सकते हैं कि सभी रिश्तों में ऊँच–नीच होती है। पत्नी का भाई व बेटी की माँ, क्योंकि दोनों रिश्ते महिला से संबंधित हैं उनका स्थान समाज में नीचा है। सालिंग संबंध सत्तात्मक होते हैं। वास्तव में दो लोगों के बीच किसी भी प्रकार का संबंध सत्तात्मक होता है। जब दो लोग होते हैं तो संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है, काम का बटवारा होता है और निर्णय लेने पड़ते हैं, ऐसे में सत्ता होना स्वाभाविक है। सत्ता अपने आप में नकारात्मक नहीं होती है। हर संबंध में सत्ता होती है परंतु इसे बराबर भी बांटा जा सकता है।

सालैंगिक श्रम विभाजन (Gender Labour Division)

श्रम का विभाजन भी सालिंग पर आधारित होता है। श्रम को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–

उत्पादन – ऐसे कार्य जिनसे पैसे मिलते हैं। दफ्तरों, कारखानों व खेतों का काम इसी श्रेणी में आता है। ये आर्थिक गतिविधियों में शामिल किए जाते हैं। ये कार्य महिला व पुरूष दोनों करते हैं पर प्राथमिकता पुरूषों को दी जाती है क्योंकि इनमें हुनर की आवश्यकता होती है। पितृसत्तात्मक सोच में पुरूषों को घर का मुखिया व रोजी रोटी कमाने वाला मानते हैं इसलिए उत्पादन गतिविधियों में महिलाओं को कम महत्व और कम कीमत दी जाती है।

पुनरुत्पादन – यह कार्य दो तरह का होता है – एक जैविक और दूसरा सामाजिक। जैविक पुनरुत्पादन है प्रजनन या नए मानवों को जन्म देना, यह कार्य केवल महिलाएं कर सकती हैं। सामाजिक पुनरुत्पादन में ऐसे कार्य हैं जिनके बगैर मनुष्य का जीना मुश्किल होता है और जिसके लिए कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते अर्थात संभालने या पालने का कार्य। इसमें घर संभालना, परिवार के सदस्यों को पालना, खाना बनाना, सफाई करना व बीमारों की देखभाल करना आदि कार्य शामिल हैं। ये कार्य जीवन के लिए अतिमहत्वपूर्ण हैं पर इन्हें आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता इसलिए ये अदृश्य, अवैतनिक और महत्वहीन लगते हैं। ये कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं।

सामुदायिक कार्य – ये ऐसे कार्य हैं जो समाज को अच्छी तरह चलाने और संगठित रखने के लिए जरूरी हैं और इनके द्वारा हम समाज का हिस्सा बनते हैं। जैसे राजनैतिक कार्य, जाति पंचायत, धार्मिक गतिविधियां, त्यौहार मनाना, बीमार से अस्पताल में मिलने जाना, किसी के मरने में जाना, शादी में जाना, जन्मदिन पर जाना इत्यादि। ये कार्य महिला व पुरूष दोनों करते हैं परंतु रिवाजों के अनुसार कुछ कार्य पुरूषों के होते हैं कुछ महिलाओं के। जैसे जाति पंचायत या कब्रिस्तान में महिलाएं नहीं जाती और शादी, जन्मदिन या घर के अंदर होने वाले कार्य महिलाएं करती हैं।

सालैंगिक श्रम विभाजन में कम क्षमता और कम मजदूरी वाले कार्य महिलाओं के जिम्मे आते हैं। आईएलओ (ILO) के आँकड़ों के अनुसार विश्व में होने वाले कार्य का 66 प्रतिशत महिलाएं करती हैं पर आय का 10 प्रतिशत महिलाओं को मिलता है और केवल 1 प्रतिशत सम्पत्तियों पर महिलाओं का अधिकार है। तो महिलाएं आयहीन, सम्पत्तिहीन और इसलिए मानहीन हैं। सालैंगिक श्रम विभाजन से सालैंगिक क्षमता विभाजन का जन्म होता है और उससे फिर संसाधनों का सालैंगिक विभाजन होता है।

जाति व्यवस्था

हमारे देश में जाति व्यवस्था बहुत मज़बूत है और आज के आधुनिक युग में भी यह हमारे समाज में प्रचलित है। हिंदु धर्म में दलित वर्ग जाति व्यवस्था के सबसे आखिरी पायदान पर है जिस वजह से उन्हें कई चीजों से वंचित किया गया। जैसे –

- मान सम्मान
- शिक्षा
- पूजा करने व मंदिरों में जाने की मनाही
- छुआछूत
- उन्हें अपवित्र माना गया
- उनका दलन व शोषण हुआ
- उन्हें गंदे कार्य करने पड़ते हैं
- काम की बहुत कम कीमत मिलती है
- उनके पास अधिक सम्पत्ति नहीं होती

अब हम इसे ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि समाज में महिलाओं को भी ये सब अधिकार प्राप्त नहीं हैं और ये बात सभी वर्ग व जाति की महिलाओं पर लागू होती है। परंतु मध्यवर्गीय महिलाओं पर इसकी दोहरी मार पड़ती है।

पितृसत्ता

सालैंगिक असमानता की जड़ पितृसत्ता है। पितृसत्ता का अर्थ है "पुरुष की सत्ता"। यह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष को उत्तम माना जाता है। इस व्यवस्था में निर्णयों व संसाधनों पर पुरुषों का अधिक नियंत्रण होता है। इस नियंत्रण को हम निम्नलिखित श्रेणियों में बांट कर देख सकते हैं कि इनसे पुरुष किस प्रकार लाभांवित होते हैं।

उत्पादन या श्रम शक्ति – घर के कामों के लिए महिलाओं को कोई वेतन नहीं मिलता और बाहर काम करने पर भी पुरूषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। ऊँचे पदों से उन्हें दूर रखा जाता है। इस प्रकार आय पर पुरूषों का नियंत्रण होता है। महिलाओं का शोषण होता रहता है जिसका भौतिक लाभ पुरूषों को मिलता है।

पुनरुत्पादन या प्रजनन शक्ति – शादी होगी या नहीं, कब व किसके साथ होगी, बच्चे होगें या नहीं और होगें तो कब व कितने – ये सभी बातें पुरूष तय करते हैं। गर्भनिरोधकों का प्रयोग महिलाओं के लिए है (अधिकतर), पुरूषों के लिए न के बराबर। गर्भनिरोध की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है।

यौनिकता – महिलाओं की यौनिकता पर भी पुरूषों का नियंत्रण होता है। लगभग सभी धर्मों में शादी के संबंध के बाहर महिलाओं की यौनिकता के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को पुरूषों की इच्छा व जरूरत के अनुसार यौनिक सुख देना चाहिए। समाज के नियम व कानून महिलाओं की पोशाक, संबंधों आदि पर नियंत्रण रखते हैं।

गतिशीलता – पर्दा प्रथा, घर के अंदर रहना, महिला व पुरुष के बीच कम से कम सम्पर्क होना इत्यादि के द्वारा महिलाओं की गतिशीलता पर नियंत्रण रखा जाता है।

संसाधनों पर नियंत्रण – सम्पत्ति पिता के बाद पुत्र को मिलती है। जहाँ महिलाओं को कानूनी उत्तराधिकार का हक मिला है वहाँ भी सामाजिक परम्पराओं, भावनात्मक दबाव और रिश्तों की राजनीति से उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दिया जाता है।

सभी आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं पर अधिकतर पुरूषों का नियंत्रण होता है।

परिवार – जो समाज की बुनियादी इकाई है, वह सबसे अधिक पितृसत्तात्मक संस्था है। पुरूष घर का मुखिया होता है और घर के सभी छोटे बड़े सदस्यों पर नियंत्रण रखता है।

धर्म – पहले स्त्री शक्ति की पूजा की जाती थी परंतु धीरे धीरे इसका अंत हो गया और देवियों की जगह देवताओं ने ले ली। अधिकांश धर्मों को उच्च वर्ग व उच्च जाति के पुरूषों ने बनाया है। नैतिकता, व्यवहार आदि के नियम तय कर उन्होंने ही महिलाओं व पुरूषों की जिम्मेदारियां व अधिकार निश्चित किए हैं। समाज में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है और वह एक बड़ी ताकत होते हैं।

शिक्षा – अधिकतर किताबें पुरूषों द्वारा लिखीं गईं हैं और इसलिए उनके नजरिए को पेश करती हैं जिसमें महिलाओं का दर्जा हमेशा पुरूषों से नीचा ही होता है।

न्याय, स्वास्थ्य, आर्थिक, राजनैतिक, संचार, प्रशासन और गैर सरकारी संस्थाओं में पुरूषों का ही नियंत्रण है। जज, वकील, डॉक्टर, राजनैतिक नेता, पुलिस, अखबार के संपादक व रिर्पोटर अधिकतर पुरूष ही होते हैं। इन सभी क्षेत्रों को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि पितृसत्ता में एक विशेष वर्ग के पुरूषों का स्वामित्व होता है और ये है उच्च वर्ग।

पितृसत्ता से पुरूषों को लाभ होते हैं। उन्हें निशुल्क नौकरानी व यौन प्राप्त होता है। घर के बाहर जाति, वर्ग, वर्ण या किसी भी कारण से सम्मान मिले या न मिले पर अपने परिवार में जरूर मिलता है। पुरूषों का बाहुल्य होने के कारण राजनैतिक क्षेत्र में यू एन या संसद में अधिक सीटें मिलती हैं।

जेंडर में शोषित और शोषक का अंतर स्पष्ट नहीं होता। परंतु जब हम पितृसत्ता की व्यवस्था को देखेगें तो यह स्पष्ट हो जाएगा है कि पुरुष शोषण करता है और महिला का शोषण होता है। विश्व में पाँच प्रमुख सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो एक ही ढ़ाँचें पर आधारित हैं और एक ही प्रकार से कार्य करती हैं। ये व्यवस्थाएं हैं –

- पितृसत्ता
- वर्ग व्यवस्था
- जाति व्यवस्था
- वर्ण व्यवस्था
- उत्तरी व दक्षिणी देश (जी 8 वाले देश) या अमीर व गरीब देश

पितृसत्ता, जाति व्यवस्था व वर्ग व्यवस्था एक ही प्रकार से कार्य करती हैं। सभी सामाजिक व्यवस्थाएं शोषण व हिंसा पर आधारित हैं। जेंडर की लड़ाई महिला व पुरूष की लड़ाई नहीं है, यह एक विचारधारा की लड़ाई है।

महिलाएं पितृसत्ता को सहयोग क्यों देती हैं?

पितृसत्ता केवल पुरूषों को प्रभावित नहीं करती, महिलाएं भी पितृसत्तात्मक बन जाती हैं। सदियों से चली आ रही यह सामाजिक व्यवस्था हमारे अंदर बैठ गई है। इसके कई कारण हैं, जैसे –

- आर्थिक निर्भरता
- समाज द्वारा स्वीकृति मिलना (अच्छी औरत बने रहना)
- असुरक्षा की भावना
- समय के बहाव के साथ बहना क्योंकि विरोद्ध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है
- महिलाओं में एकता नहीं है वे अलग वर्गों व जातियों में बंटी हुई हैं
- महिलाओं को अपना इतिहास नहीं पता है
- सब महिलाएं किसी न किसी धर्म में पैदा होती हैं और उस पर उँगली उठाना कठिन होता है

ऐसा कहा जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। पर ऐसा क्यों है? इसे हम एक चित्र के द्वारा देखते हैं –

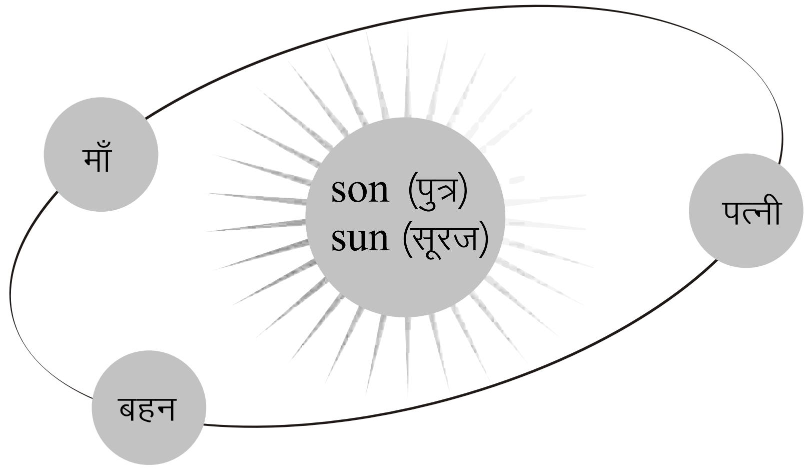

जिस प्रकार सूरज के इर्दगिर्द घूमते उपग्रह सूरज से उर्जा प्राप्त करते हैं और उसी की रोशनी से चमकते हैं, ठीक उसी तरह पुत्र रूपी सूरज से माँ, बहन और पत्नी रूपी उपग्रह उर्जा अर्थात संसाधन प्राप्त करती हैं। शादी से पहले संसाधन केवल माँ और बहन के बीच बंटे होते हैं परंतु पत्नी के आ जाने पर ये तीन लोगों में बंट जाते हैं जिससे संबंधों में कटुता आ जाती है। क्योंकि तीनों की निर्भरता उस एक पुरुष पर ही होती है। यह भी एक प्रकार की व्यवस्था है।

पितृसत्ता की शुरूआत – एन्गल्स ने अपनी पुस्तक "ओरिजन ऑफ़ द फेमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एण्ड द स्टेट" में पितृसत्ता की शुरूआत के बारे में बताया है। उनका विश्वास था कि महिलाओं की अधीनता की शुरूआत व्यक्तिगत सम्पत्ति के आरंभ के साथ हुई। उनका कहना है कि वर्ग विभाजन और महिलाओं की अधीनता एक ऐतिहासिक तथ्य है। पहले वर्ग और लिंग के आधार पर कोई विभाजन नहीं था। उन्होंने समाज के तीन चरणों की बात कही है।

पाशविकता काल – इस काल में मनुष्य जानवर की तरह रहता था। वह शिकार करता और भोजन एकत्र करता था। उस समय न विवाह था और न ही सम्पत्ति की धारणा। पुरूषों को यह नहीं पता था कि बच्चे के जन्म में उनका भी कोई योगदान है।

बर्बरता काल – इस काल में मनुष्य ने जानवरों पर काबू किया, आग का प्रयोग शुरू हुआ और हथियार बने। पुरूष शिकार के लिए बाहर जाते और महिलाएं पीछे घर संभालती और कृषि करती थीं। लोग बड़े कबीलों में रहते थे पर विवाह की धारणा तब भी नहीं थी। एक कबीले के अदंर नहीं पर एक कबीले का दूसरे कबीले के साथ झगड़ा होने लगा था। हथियारों व शक्ति के बल पर दास बनने लगे थे। दास महिला व पुरूष दोनों होते थे। मनुष्य ने जानवरों व दासों के रूप में सम्पत्ति इकट्ठी करनी शुरू की और तब निजी सम्पत्ति की धारणा का विकास हुआ। जिस प्रकार मनुष्य ने प्रकृति को दबाया है उसी प्रकार पुरूषों ने महिलाओं को दबाया है।

पुरूष चाहते थे कि उनकी सम्पत्ति उनके बच्चों को मिले। उनके बच्चे कौन से हैं यह जानने के लिए यह जरूरी था कि महिला के संबंध केवल एक पुरूष के साथ ही हों। एन्गल्स के अनुसार यह "माँ के अधिकार की ये सबसे बड़ी हार थी"। पिता के अधिकार को सीमित करने के लिए महिलाओं के आने जाने पर बंधन लगा दिए गए और उन पर एक–विवाही संबंध लाद दिए गए।

सभ्यता – एन्गल्स के अनुसार महिलाओं को चारदीवारी में बंद कर दिया गया ताकि वे उत्तराधिकारी पैदा कर सकें और उनमें कोई मिलावट न हो। महिलाओं का एकल रिश्ता था पर पुरूष अन्य संबंध बनाने के लिए आजाद था। एन्गल्स के अनुसार यौनकर्मियों की शुरूआत उसी दिन से हो गई थी। उनके अनुसार मज़दूर वर्ग की महिला पितृसत्ता में ज्यादा दबी नहीं थी क्योंकि वह स्वंय कमाती थी। पूँजीपति वर्ग की महिलाएं सबसे ज्यादा दबी हुई थीं। उनका कार्य था बच्चे पैदा करना और पति की सम्पत्ति बन कर रहना।

समाजवादी नारीवादी विचारधारा वाली मरिया मीस़ जो जर्मनी की हैं, का कहना है कि महिला और पुरूष का प्रकृति के साथ अलग अलग तरह का रिश्ता होता है। महिलाओं का रिश्ता रचनात्मक और पुरूषों का विनाशकारी होता है। महिला प्रकृति की तरह स्वंय नए जीवन की रचना करती है। बिना बल के पुरूष अपने को हीन समझते हैं क्योंकि वे बच्चे को जन्म नहीं दे सकते।

गर्डा लर्नर का मानना है कि पितृसत्ता एक दिन में नहीं आई है। यह करीब 2500 सालों (3100 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक) की प्रक्रिया है, और इसके लिए कई घटक जिम्मेदार हैं। जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था और पितृसत्ता का आपसी रिश्ता है। ये तीनों ही निजी सम्पत्ति की धारणा से उभरे हैं। इस व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए धर्मों का विकास हुआ। राज्य व्यवस्था ने दण्ड नीति की सहायता से वर्ग, जाति, पितृसत्ता और रंगभेद को बढ़ावा दिया।

नारीवाद क्या है?

नारीवाद पितृसत्ता का जवाब है। बिना किसी पक्षपात, समानता के लिए संघर्ष नारीवाद है। सामान्यतः नारीवादियों की एक नकारात्मक छवि ही हमारे मन में होती है। आमतौर पर ऐसी धारणा होती है कि पुरूषों जेसे कपड़े पहनने वाली, छोटे बालों वाली, घरों को तोड़ने वाली, सिगरेट व शराब पीने वाली, सामाजिक मान्यताओं को तोड़ने वाली या सीधे शब्दो में खराब महिलाएं नारीवादी होती हैं।

प्रतिभागियों से एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताने को कहा गया जो उनके विचार से नारीवादी है। कई लोगों ने जानेमाने नारीवादियों के नाम लिए तो किसी ने कहा माँ, किसी ने साथी, किसी ने अपने आप को और किसी ने अपने पति को नारीवादी बताया। बताए गए लोगों में से कोई भी ऊपर दी गई परिभाषा से मेल नहीं खाता है। इसलिए निष्कर्ष यह निकला कि ये नकारात्मक नजरिया केवल फैलाई गई धारणा है, वास्तव में ऐसा नहीं है।

अंत में प्रतिभागियों को विचार करने के लिए प्रश्न दिए गए।
- पितृसत्ता के संदर्भ में व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं?
- संस्थागत स्तर पर क्या किया जा सकता है?
- नेटवर्क के स्तर पर क्या किया जा सकता है?

प्रतिभागियों ने आपस में विचार विमर्श किया, तो और निम्नलिखित सुझाव सामने आए।

व्यक्तिगत स्तर पर –

- अपनी पितृसत्तात्मक सोच को बदलना
- घर के अन्य सदस्यों को इस सत्य से अवगत कराना और बदलने का प्रयास करना
- पुरूषों के प्रति संवेदनशील होना

संस्थागत स्तर पर –

- संस्था तथा कार्यक्रमों में नारीवादी सोच को लाना और उसे बढ़ावा देना
- इस मुद्दे पर अभियान चलाना
- नारीवादी सोच को समुदाय के स्तर तक लाना और समझाना (प्रशिक्षण के द्वारा)
- सरल भाषा में रिपोर्ट तैयार करना जिसे ग्रासरूट स्तर पर प्रयोग किया जा सके

नेटवर्क के स्तर पर –

- आपस में अनुभवों को बांटना
- पर्चे व पोस्टर बनाना
- पुरूषों के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित करना
- 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच कोई कार्यक्रम करना

प्रशिक्षण में आए प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाएं

परिचय वाले अभ्यास से सब प्रतिभागी खुल गए और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को बांटना आसान हो गया। यह एक अच्छा व सरल अभ्यास था। सभी लोगों ने जेंड़र शब्द का प्रयोग तो बहुत किया था पर उसकी समझ इतनी स्पष्ट नहीं थी, परंतु इस कार्यशाला से वह एकदम स्पष्ट हो गई है। सालिंग और प्रालिंग शब्दों से जेंडर को समझना व समझाना दोनों आसान हो गया है। प्रशिक्षण में प्रयोग की गई भाषा अति सरल थी और तकनीक बहुत ही रूचिकर। इस भाषा का उपयोग ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं को जेंड़र समझाने के लिए किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान यह अहसास भी हुआ कि सिर्फ महिलाएं ही प्रताड़ित नहीं हैं, पुरूष भी पितृसत्ता के शिकार हैं। जेंड़र संवेदनशीलता पुरूषों के लिए भी आवश्यक है। प्रशिक्षण में किए गए अभ्यासों ने अंतर मन झकझोर दिया और सोचने पर मजबूर किया कि क्यों हम यूं ही दुखों को अपनी नियति मान लेते हैं और बिना सोचे समझे ही हार मान लेते हैं। हमें संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए।

प्रतिभागियों की सूची

शीला / महेश्वरी
वनागंना
पुरानी बाजार
महिन्द्रा टेक्टर एजेन्सी के पास
करवी, चित्रकूट
यू पी – 212098
Tel: (05198) 236985
Fax: (05198) 36166
Email: vanangana@rediffmail.com

पुष्पा वाल्मिकी / पूनम
आधारशिला
ए–22 / 780, लव–कुश नगर
इंदिरा नगर
लखनऊ – 226 016
Telefax: (0522) 2354026
Email: pushpabalmiki2001@yahoo.co.in

किरण / सरवरी
प्रेरणा भारती
(सामाजिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र)
कॉलेज रोड, पोस्ट ऑफिस – मधूपुर
जिला – देवघर – 815353
झारखण्ड
Tel:(06438) 224359
Email: prernabharti@yahoo.co.in

पूनम / तारकेश्वरी
दामोदर महिला मंडल
ग्राम पोस्ट–बिराहना
थाना– चौपारान
जिला–हजारीबाग
झारखण्ड

मोनिका रॉय / शीला सिंह
प्रेरणा निकेतन
कुम्हार टोली, मतवारी
हजारीबाग – 825301
बिहार
Tel: (06546) 265736
Fax: (06546) 266895/264027

रीना / रेशमा
संगतिन
शिवपुरी कॉलोनी
होम गार्ड कार्यालय के पास
सीतापुर
Tel # {05862}243761
Email : samakhyastp@hotmail.com

नाईश / सारिका
आली
407, डॉ बैजनाथ रोड
पोस्ट ऑफिस के पास
नई हैदराबाद कॉलोनी
लखनऊ – 226 007
Tel # 0522-782066 / 782060
Email: aali@lwl.vsnl.net.in

नुस्रत / बिआस
तारशी
11,पहली मंजिल, मथुरा रोड
जगंपुरा बी
नई दिल्ली – 110 014
Tel # 2431 9070 / 2431 9071
Email: tarshi@vsnl.com

मेघना / कला
नार्थ ईस्ट नेटवर्क
267– एए गुलमोहर एवन्यू
जामिया नगर
नई दिल्ली – 110 025

प्रमदा मेनन / वीनू
क्रिया
2 / 14, दूसरी मंजिल
शांति निकेतन
नई दिल्ली – 110 021
Tel: 11-2688 3209 / 2410 7983
Email:crea@vsnl.net